न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 97/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. इस्लाम पुत्र सतार 2. रहमान पुत्र सतार जाति–मुसलमान, निवासी–गरडिया, तहसील रामसर, बाडमेर।		1. तहसीलदार, रामसर, बाडमेर। 2. सतार वल्द हाजी मीरा 3. कमाल वल्द हाजी मीरा 4. बिलाल वल्द हाजी मीरा 5. रसूल वल्द हाजी मीरा 6. जीयण वल्द हाजी मीरा 7. हबीब वल्द सरीफ 8. अमीन वल्द सरीफ 9. सकूर वल्द सरीफ 10. शेरखान वल्द सरीफ 11. हिन्दाल वल्द सरीफ 12. मरूआ पत्नी सरीफ 13. गफूर वल्द हुसैन 14. इस्लाम वल्द सतार जाति–मुसलमान, निवासी–गरडिया, तहसील रामसर, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 16.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा राजस्व प्रा.पत्र संख्या 16/2020 अनवान सरकार बनाम सतार वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः अगस्त,2021

1. उपरोक्त अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के पारित आदेश दिनांक 16.07.21 के विरूद्ध अपील दिनांक 12.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस सुनी।
2. दौरान सुनवाई अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गरडिया तहसील धोरीमन्ना के ख0सं0 611/164, 612/164, 163, 161 व 162 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं

है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा मौका रिपोर्ट दुबारा मंगाये जाने का निवेदन किया। अन्य के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई बहस सुनी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश द्वारा उपरोक्त खसरान में से चालू रास्ते का अंकन नक्शे व परिशिष्ठ–ए में वर्णित अनुसार किये जाने का आदेश दिनांक 16.07.2021 को पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की गई है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 व 136 के प्रावधानों की अनदेखी की है। इसके अतिरिक्त आलौच्य आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया है जिसके कारण वे अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख सकें। जिस कारण से आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि धारा 131,132 व 136 के तहत पक्षकारान की बिना सहमति के अपीलार्थीगण की भूमि को गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व समय में भी राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्राप्त करने के निर्देश बिलाल वगैराह को दिये गये थे, साथ ही अपीलार्थीगण के ख0सं0 611/164 व खसरा संख्या 616/273 के लगलते ही सरकारी खसरे भी है जहॉ से मौके पर माठ के सहारे–सहारे रास्ता चल रहा है। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश प्रकरण में जानबूझकर अपीलार्थीगण के खेत के दो टूकडे कर रास्ते दिये जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें। एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें रेस्पो0 सं0 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गरडिया तहसील धोरीमन्ना के ख0सं0 611/164, 612/164, 163, 161 व 162 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नहीं होने से उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने हेतु पेश किया जिस पर रेस्पो0 संख्या0 एक के आवेदन को स्वीकार करने का अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.07.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता का अधिनस्थ न्यायालय के आदेश बाबत मुख्य आपत्ति यह है कि आदेश पारित करने से पूर्व उनके द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया था जो तलब नहीं की गई। दूसरा उन्हें अपना पक्ष रखने/साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 10.6.21 व 14.6.2021 अनुसार राजस्व अदालतों में विचाराधीन प्रकरणो/अपीलों में एक्सपार्टी/डी.डी. एवं पक्षकार या अधिवक्तागण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किये जायेगें। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारान की उनकी भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति आवश्यक माना गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन पर विचार करने

तत्पश्चात विधि अनुरूप नये सिरे से आदेश जारी किये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2021 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट एवं अन्य सह खातेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, उन्हें मौके पर उपस्थित रखकर, राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार धारा 131 व 136 के प्रावधानों अनुसार पुनः विधि अनुरूप आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक .08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीज नल कमिश्नर,
जोधपुर